



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

1970/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2022

क्र.

दिनांक 04/11/2022

संशोधित आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
श्री अरविन्दों विश्वविद्यालय
इंदौर (म.प्र.)

विषय- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2022-23 में संचालित चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्राप्त एन.ए.बी.एल./एन.ए.बी.एच प्रमाण पत्र के अंतर्गत की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत आदेश क्र. 1452 दिनांक 30.08.2022 के माध्यम से मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड़) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर अधोलिखित तथ्यों/शर्तों के अधीन की गई है। विश्वविद्यालय के द्वारा चिकित्सा पाठ्यक्रमों में एन.ए.बी.एल./एन.ए.बी.एच प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर समीक्षित की गई शुल्क में प्रोत्साहन स्वरूप वेटेज प्रदान करने की मांग की गई है। विश्वविद्यालय के आवेदन पर शुल्क समीक्षा समिति द्वारा निर्णय उपरांत विश्वविद्यालय में संचालित चिकित्सा पाठ्यक्रमों में एन.ए.बी.एल./एन.ए.बी.एच प्रमाण पत्र के आधार पर प्रोत्साहन स्वरूप वेटेज प्रदान करते हुये समीक्षित किये गये संशोधित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है-

(राशि रुपये में)

S. No.	Faculty	Course Name (As Per Ordinance)	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	*Development Fee & All other Miscellaneous fee(15%)	Total
1	Faculty of Medicines	MBBS	1500000	1245250	219750	1465000
MS AND MD (CLINICAL) SUBJECT WISE FEES DEMANDED						
2	MS AND MD (CLINICAL) - A	DERMATOLOGY	2250000	1750320	308880	2059200
3		RADIODIAGNOSIS	2250000	1750320	308880	2059200
4	MS AND MD (CLINICAL) - B	OBSTETRICS & GYNAECOLOGY	1935000	1554395	274305	1828700
5		GENERAL MEDICINE	1935000	1554395	274305	1828700

निरंतर - 02


04/11/2022

// 02 //

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

6	MS AND MD (CLINICAL) - C	ORTHOPAEDICS	1828000	1469140	259260	1728400
7		PAEDIATRICS	1828000	1469140	259260	1728400
8		RESPIRATORY MEDICINE	1828000	1469140	259260	1728400
9		OPHTHALMOLOGY	1828000	1469140	259260	1728400
10		ANAESTHESIOLOGY	1828000	1469140	259260	1728400
11		PSYCHIATRY	1828000	1469140	259260	1728400
12		RADIOTHERAPY	1828000	1469140	259260	1728400
13		OTO-RHINO- LARYNGOLOGY(ENT)	1828000	1469140	259260	1728400
14	MS AND MD (CLINICAL) - D	GENERAL SURGERY	1793000	1439730	254070	1693800
		EMERGENCY MEDICINE	1793000	1439730	254070	1693800
15	MS AND MD (PARA - CLINICAL) - E	MS AND MD (PARA - CLINICAL)	1000000	780980	137820	918800
16	MS AND MD (NON - CLINICAL) - F	MS AND MD (NON - CLINICAL)	100000	83640	14760	98400
DM AND MCH SUBJECT WISE FEES DEMANDED						
17	DM AND MCH -A	DM - GASTRO	800000	680000	120000	800000
18		DM - NEURO	800000	680000	120000	800000
19		DM - NEPHRO	800000	680000	120000	800000
20		MCH - NEURO	800000	680000	120000	800000
21	DM AND MCH -B	DM - ONCOLOGY	1754800	1491580	263220	1754800
22		MCH - ONCOLOGY	1754800	1491580	263220	1754800
23		MCH - UROLOGY	1754800	1491580	263220	1754800
		DM - CARDIO	1754800	1491580	263220	1754800
		DM - ENDO CRINOLOGY	1754800	1491580	263220	1754800

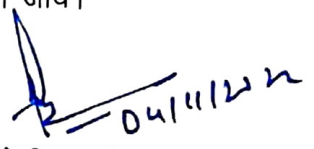
नोट— उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर की गई है।

- उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, परीक्षा शुल्क एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
- अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

निरंतर - 03
04/11/22

// 03 //
शैक्षणिक सत्र 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

3. सत्र 2022-23 हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये ।
 4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
 5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है।
 6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। शुल्क नियमन किये गये पाठ्यक्रमों में यदि आयोग की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है तो ऐसे पाठ्यक्रमों की आयोग से अनुज्ञा प्राप्त की जाये।
- (अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)


(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2022
प्रतिलिपि—

भोपाल, दिनांक

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
5. गार्ड फाईल।


सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल